



Neutral Citation No. - 2026:AHC:174557

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 7901

सन् 2026

योगेश उपाध्याय उर्फ मन्नू पंडित

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता	:	राजेश कुमार रॉय शर्मा
विपक्षी (गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
- यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 230 सन् 2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 191(3), 125, 109(1), 115(2) तथा आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7, थाना - बन्नादेवी, जनपद - अलीगढ़ के अंतर्गत, इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को झूठे प्रकरण में फंसाया गया है। आरोप है कि दो गुटों के बीच हिंसा हुई और उन्होंने एक-दूसरे पर गोली चलाई, जिससे 3 लोग

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गोली लगने से घायल हो गए। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि 12 नामजद अभियुक्तों और 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। अभियुक्तों की पहचान के बारे में जानकारी कथित तौर पर राहगीरों और मौके पर मौजूद लोगों से मिली थी, जिनके नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं बताए गए हैं। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक और अन्य अभियुक्तों को झूठे प्रकरण में फंसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और घटना में उसकी कोई भूमिका नहीं बताई गई है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

5. मैंने दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है।

6. इसी प्रकार की स्थिति वाले सह-अभियुक्त योगेन्द्र कुमार उर्फ योगी, नमन रत्नाकर, शानू, मयंक ठाकुर, हर्षित वाष्णीय हिंदू, शशांक शंकर शर्मा, शोएब, मोहम्मद हमजा, हनी शिवाजी, आयुष शर्मा, मोहित शर्मा, प्रफुल्ल पंडित, अरुण कुमार गौतम उर्फ अरुण महादेव, यश गोयल, गौरव उर्फ काटू और यश गुप्ता को इस न्यायालय द्वारा विभिन्न जमानत प्रार्थना पत्रों में नियमित जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है।

7. बहस के दौरान, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, ने बताया कि कुछ सी.सी.टी.वी. फुटेज और आस-पास मौजूद लोगों द्वारा बनाया गया एक वीडियो है, जिससे पता चलता है कि नामजद अभियुक्त के साथ-साथ अर्जी देने वाला व्यक्ति भी हिंसा में शामिल था। हालाँकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, यह नहीं बता पाए कि केस डायरी में जिस वीडियो का जिक्र है, उसे विवेचना अधिकारी ने हासिल किया था या नहीं और उसे विवेचना का हिस्सा बनाया था या नहीं। विवेचना की कार्यवाही से पता चलता है कि विवेचना अधिकारी को कोई वीडियो दिखाया गया था, लेकिन विवेचना अधिकारी ने उसे अभिलेख का हिस्सा नहीं बनाया। सह-अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया गया प्रतीत होता है।

8. इस न्यायालय को केस डायरी में दिए गए निर्देशों के साथ भेजे गए आरोप पत्र का अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आरोप पत्र के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि



केवल पुलिस गवाहों को दर्शाया गया है और किसी स्वतंत्र गवाह को आरोप पत्र में गवाह नहीं बनाया गया है।

9. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

10. उपरोक्त को देखते हुए, आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

11. यदि आवेदक - **योगेश उपाध्याय उर्फ मन्नू पंडित** को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का अपना व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर, उपर्युक्त मुकदमा अपराध में अग्रिम जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वे इन शर्तों का पालन करें:-

- i. जब भी ज़रूरत हो, आवेदक पुलिस अधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए हाज़िर होगा।
- ii. आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
- iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा या उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं।

12. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

19 अगस्त, 2026

सचिन